NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त

नियमावली

सत्रम्

20 -20

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा मूल्यांकित

राजकीय स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालयः सोलनम् (हि.प्र.)

PROSPECTUS

Govt. Post Graduate Sanskrit College, Solan (H.P.)-173212
Phone: 01792-223550
E-mail: gscsolanhp@gmail.com
Website: www.gscsolanhp.com

आचार्याः

1.	डॉ० नरेश चन्द	प्राचार्यः (कार्यवाहक)	ज्योतिषाचार्य (पी.एच.डी.) (लब्ध स्वर्ण पदक)
2.	डॉ० विनय शर्मा	वेदाचार्यः	आचार्य वेद, पीएच.डी. एम.ए. संस्कृत (लब्ध स्वर्ण पदक)
3.	श्री ओंकार चन्द	साहित्याचार्यः	आचार्य साहित्य, NET एवं शिक्षा शास्त्री
.4.	श्री भानु शर्मा	व्याकरणाचार्य	आचार्य वेद, पीएच.डी., बी.एड.
5.	डॉ० देव कान्त शर्मा	सहायक आचार्य अंग्रेजी	एम. फिल. पी.एच.डी.
6.	डॉ० आशा शर्मा	सहायक आचार्य हिन्दी	एम. फिल. पी.एच.डी.
7.	डॉ० किरण सकलानी	दर्शनाचार्य	एम. फिल. पी.एच.डी. JRF
8.	श्री पवन कुमार	साहित्य आचार्य	आर्चाय साहित्य,एम.ए संस्कृत
9.	डॉ० देव कुमार नेगी	प्रवक्ता राजनीति शास्त्र	एम.ए. एम. फिल. पी.एच.डी., NET, SLET (एम. ए. समाज शास्त्र)

कार्यालयीय – कर्मचारिणः

1.	श्रीमती गौरा शर्मा	अधिक्षिका	स्नातक
2.	श्री दिनेश कुमार	लिपिक	एम.ए. (अर्थशास्त्र)
3.	श्री राजेश कुमार	चौकीदार	Middle
4.	श्रीमती विमला देवी	सेवादार	-
5.	श्री इन्द्र सिंह	सेवादार	-
6.	श्रीमती सीता देवी	सेवादार	-
7.	श्रीमती तरसेम बाला	(अशंकालीन) कुक /चौकीदार (छात्रावास)	Middle

''नत्वा सरस्वती देवीं ज्ञानरूपां सरस्वतीम् ।
सादरमभिनन्द्येऽहं गुरुन् तत्वगुणान्वितान् ।।''

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

'संस्कृतिः संस्कृताश्रिता' के शाश्वत् सिद्धान्त को समर्पित माँ भगवती शूलिनी के दिव्यधाम सोलन में अवस्थित संस्कृति तथा संस्कारयुक्त शिक्षा पद्धति को समर्पित "राजकीय स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय - सोलन" का यह संस्थान हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु भारतवर्ष के अग्रणी संस्कृत संस्थानों में अद्वितीय स्थान रखने वाला है। यह महाविद्यालय तत्कालीन बघाट - रियासत (सोलन) के धर्मपरायण राजा दुर्गा सिंह जी ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के भाव से 13 अप्रैल, 1929 ई० को माँ भगवती शूलिनी के पार्श्व में भगवान नृसिंह मन्दिर के परिसर में एक 'लघु संस्कृत पाठशाला' के नाम से स्थापित किया। 1947 ई० से पूर्व यह संस्थान 'पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर" के साथ सम्बद्ध रहा तथा 1947 से 1971 ई० तक 'पञ्जाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़" से सम्बद्ध होकर यहां प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री तथा आचार्य की कक्षाएं संचालित होती रहीं। 1971 ई० में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय - शिमला की स्थापना के पश्चात् इससे सम्बद्ध (Affiliated) होकर इसकी परीक्षाओं का संचालन हो रहा है।

यह महाविद्यालय देश की उन विशिष्ट संस्थाओं में प्रमुख स्थान रखता है जहाँ प्राच्य - परम्परा से संस्कृत के वैदिक / अवैदिक - साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष तथा वेद आदि विषयों का अध्ययन करके छात्र दुर्लभ भारतीय वेद - ज्ञान को सुरक्षित रखने तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण का अति कठिन कार्य विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं। वर्तमान में प्राचीन विषयों के साथ - साथ समयानुकूल अंग्रेजी / हिन्दी जैसी अन्य भाषाओं तथा राजनीति शास्त्र, इतिहास, कम्प्यूटर शिक्षा आदि का सायुज्य करके विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी, व्यवहारिक तथा समय सापेक्ष बनाया गया है ताकि हमारे छात्र समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें।

विशेषताएँ

1. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा मूल्याँकित महाविद्यालय ।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार तथा शिक्षा विभाग के सौजन्य से निर्मित महाविद्यालय का पञ्चतलीय नवीन भवन इसकी प्रमुख विशेषता है। जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 अप्रैल 2006 को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राऊंड के पार्श्व में 'पुञ्जविला' नामक स्थान पर किया तथा 3 अक्तूबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने इसका शुभारम्भ किया।
3. मुख्य राजमार्ग (माल रोड) पर स्थित पुरातन भवन (कन्या छात्रावास) के रूप में व्यवस्थापित कर दिया गया है तथा वहाँ विधिवत् कन्या छात्रावास का निर्माण निकट भविष्य में प्रस्तावित है। अनेक वर्षों से किराये के भवन में चल रहा छात्र - छात्रावास भी मुरम्मत करवाकर सुखद वातावरण में छात्रों के रहने योग्य बना दिया

गया है।

4. महाविद्यालय का अपना दुर्लभ/सन्दर्भ ग्रन्थों से सुसज्जित लगभग-12,000 पुस्तकों वाला विशाल पुस्तकालय प्राच्य विद्याओं के अध्येताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए तीर्थ स्थल है।

5. वर्तमान में उच्चतम शिक्षा प्राप्त, योग्य, अनुभवी तथा संस्कृत-संस्कृति को समर्पित आचार्यवृन्द इस संस्थान की प्रमुख विशेषता है। गुरुजनों के गौरव को द्योतित करते अनुशासनबद्ध, विनम्र, मेधावी/परिश्रमी छात्र-छात्राएँ इस महाविद्यालय की अमूल्य निधि हैं। अत: इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र से इसकी गौरवमयी परम्परा को बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है।

'महाविद्यालयीय कक्षाएँ'

(क) प्राक् शास्त्री-प्रथम वर्ष, प्राक् शास्त्री-द्वितीय वर्ष } मैट्रिकोत्तर 10 + 2 कक्षाओं के समकक्ष (Annual system) (पुरानी प्रक्रिया वाला कोर्स)

(ख) शास्त्री-प्रथम वर्ष, शास्त्री-द्वितीय वर्ष, शास्त्री-पञ्चम/षष्ठ सत्र } (Annual system) (वार्षिक प्रणाली)

(ग) साहित्यचार्या-प्रथम वर्ष, साहित्यचार्या-द्वितीय वर्ष } (Annual system) (वार्षिक प्रणाली)

प्रवेशार्थ आवश्यक योग्यता

(क) **प्राक् शास्त्री-I में प्रवेश हेतु योग्यता :**

1. हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण जिसे हि.प्र. विश्वविद्यालय ने मैट्रिक के समकक्ष माना हो ।

(ख) **शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ योग्यता : –**

1. हि.प्र. विश्वविद्यालय में प्राक् शास्त्री - II परीक्षा उत्तीर्ण
2. हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण।
3. किसी भी संस्थान/विश्वविद्यालय से वह परीक्षा उत्तीर्ण जिसको हि.प्र. विश्वविद्यालय ने प्राक् शास्त्री - II के समकक्ष माना हो।

प्रवेशार्थ अपेक्षित प्रमाण पत्र

1. प्राक् शास्त्री-I में प्रवेशार्थी छात्रों को –
   दसवीं के प्रमाण पत्र की सत्यापित 2 प्रतियाँ।
2. शास्त्री-I सत्र में प्रवेशार्थ दसवीं तथा बहारवीं (10 + 2)बोर्ड प्रमाण पत्रों की सत्यापित 2 – 2 प्रतियाँ।
3. शेष कक्षाओं में प्रवेशार्थ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की सत्यापित 2 प्रतियाँ।
4. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।
5. विद्यालय/महाविद्यालय त्याग का प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी., आई.आर.डी.पी. आदि के छात्रों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित 2 प्रतियाँ।
7. नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साईज तथा स्टैम्प साईज की दो – दो प्रतियाँ)।
8. आधार कार्ड की एक छायाप्रति

प्रवेश विषयक आवश्यक निर्देश

1. हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड से संस्कृत विषय सहित 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को हि.प्र. विश्वविद्यालय की नवीन प्रक्रिया रूसा (Rusa) के अधीन शास्त्री (प्रथम वर्ष) में सीधा प्रवेश मिलेगा।
2. विश्वविद्यालयीय Rusa परीक्षा में कम्पार्टमैंट/री अपीयर छात्रों को भी उत्तीर्ण छात्रों की तरह ही Roll On आधार पर अस्थायी (Provisional) प्रवेश मिलेगा। अनुपूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उनका प्रवेश स्थायी होगा तथा उनका परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को भेजा जा सकेगा।
3. विश्वविद्यालय में नए नियमों के अनुसार प्राक् शास्त्री – I तथा प्राक् शास्त्री – II में कम्पार्टमैंट छात्र अगली कक्षा की परीक्षा नियमित छात्र के रूप में देने के अधिकारी नहीं होंगे।
4. किसी भी कक्षा में छात्र लगातार दो बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में तीसरी बार प्रवेश नहीं मिलेगा।
5. विश्वविद्यालयीय नए नियमों के अनुसार शास्त्री – प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम छात्र को 3 वर्षों में पूरा करना होगा।

प्रवेश के समय देय शुल्क

(क)	**प्रवेश शुल्क**	25 रु. वार्षिक
1.	पुनः प्रवेश शुल्क (प्रथम बार)	100 रु. (नाम कटने पर)
	पुनः प्रवेश शुल्क (द्वितीय बार)	200 रु. (नाम कटने पर)
2.	प्रवेश विलम्ब शुल्क सहित	10/- प्रति दिन (10 दिन तक) (निश्चित तिथि के बाद)
3.	मासिक शिक्षा शुल्क (Tution Fee)	(संस्कृत छात्रों के लिए छूट)
(ख)	**महाविद्यालयीय वार्षिक निधि (FUNDs)**	
1.	पुस्तकालय रक्षाधन (प्रत्यावर्तनीय)	100 रु.
2.	गृह परीक्षा शुल्क	40 रु.
3.	चिकित्सा शुल्क	06 रु.
4.	परिसर विकास एवं सौन्दर्यीकरण निधि	10 रु.
5.	पुस्तक बदलाव शुल्क	25 रु.
6.	फर्नीचर मुरम्मत शुल्क	10 रु.
7.	परिचय पत्र शुल्क	20 रु.
8.	वार्षिक पत्रिका शुल्क	50 रु.
9.	उत्सव निधि	20 रु.
10.	छात्र सहायता शुल्क	02 रु.
11.	सांस्कृतिक गतिविधियां शुल्क	20 रु.
12.	कम्प्यूटर तथा इन्टरनैट सुविधा शुल्क	20 रु.
(ग)	**महाविद्यालयीय मासिक निधि (FundS)**	
1.	मिश्रित निधि (Amalgameted FundS)	25X12=300/- वार्षिक
2.	क्रीड़ा शुल्क	20X12=240/- वार्षिक
3.	भवन निधि	10X12=120/- वार्षिक
4.	रोबर एण्ड रेंजर शुल्क	5X12=60/- वार्षिक
5.	छात्र कल्याण निधि	10/वार्षिक
6.	प्राध्यापक - अभिभावक संघ (PTA) निधि PS-I-II, S-I से S-VI तक	800/- वार्षिक
7.	प्राध्यापक - अभिभावक संघ (PTA) निधि आचार्य I-II	800/- वार्षिक
8.	अनुपस्थिति दण्ड	1 रु. प्रति कालांश

910.	गृह परीक्षा/मासिक टेस्ट अनुपस्थिति दण्ड	50/- प्रति पत्र
11.	विशेष दण्डनीय कार्य हेतु	प्राचार्य द्वारा घोषित/सलाहकार समिति

(घ) विश्वविद्यालयीय शुल्क

1.	विश्वविद्यालय पञ्जीकरण शुल्क (Registration Fee) (केवल नए छात्रों से)	200 रु.
2.	विश्वविद्यालय निरन्तरीकरण शुल्क (Continuation Fee) (केवल पुराने छात्रों से)	10 रु.
3.	विश्वविद्यालयीय क्रीड़ा, युवा कल्याण, अवकाश गृह शुल्क	32 रु.
	प्राक् शास्त्री - I, प्राक् शास्त्री - II के छात्रों से	1505 रु.
	Rusa-शास्त्री - I समै. से शास्त्री - VI समै. के छात्रों को (परीक्षा फार्म भरने के समय स्वयं चालान द्वारा बैक में जमा करने होंगे।)	500 रु.
	विश्वविद्यालय विकास निधि OBC,SC, ST, IRDP	250 रू.

(ङ) छात्र द्वारा प्रवेश के समय कुल देय राशि

1.	प्राक् शास्त्री - I	2505 रु.
2.	प्राक् शास्त्री - II	2315 रु.

छात्रावासीय शुल्क विवरण

1.	कक्ष शुल्क 30/- मासिक 30 X 12	360 रु. वार्षिक
1.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	10 रु. वार्षिक
2.	छात्रावास रक्षाधन (प्रत्यावर्तनीय)	500 रु. वार्षिक
3.	फर्नीचर रक्षाधन	100 रु. वार्षिक
4.	अटैण्डेण्ट/कर्मचारी शुल्क (25 रु. मासिक)	300 रु. वार्षिक
5.	कॉमन रूम शुल्क (10 रु. मासिक)	120 रु. वार्षिक
6.	पानी व्यवस्था शुल्क (25 - 30 रु. मासिक)	360 रु. वार्षिक
7.	विद्युत व्यय शुल्क (30 रु. मासिक)	360 रु. वार्षिक
8.	सफाई कर्मचारी व्यय (15 रु. मासिक)	180 रु. वार्षिक
9.	छात्रावास भवन रख रखाव व्यय (30 रु. मासिक)	360 रु. वार्षिक
10.	छात्रावासीय परिचय पत्र	20 रु. वार्षिक
11.	लिपिकीय सहायता शुल्क (5 रु. मासिक)	60 रु. वार्षिक
11.	बर्तन निधि	30 रु. वार्षिक
12.	विविध निधि	1800 रु. वार्षिक

योग (नए छात्रों से) = 4190 रु. वार्षिक (पुराने छात्रों से) =3 690 रु. वार्षिक

किसी भी व्यवस्थागत नियम के उल्लंघन पर छात्रावासाध्यक्ष की अनुशंसा से किसी भी प्रकार के आर्थिक दण्ड निलम्बन अथवा निष्कासन का विशेषाधिकार प्राचार्य महोदय को होगा।

पाठ्यक्रम तथा विषय चयन

शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकों को आधुनिक विषयों के ज्ञान के साथ-साथ प्रशासनीक सेवा (HAS/UPSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्य बनाने, संस्कृत अध्यापक/प्राध्यापकों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सेवा तथा रोजगार का पात्र बनाने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित शास्त्री/विशिष्ट शास्त्री के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा 'नवीन अध्ययन प्रक्रिया' रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत शास्त्री अन्तिम वर्ष तक सिस्टम एक बहुआयामी नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में छात्रों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा।

(1) प्राक् शास्त्री भाग - I तथा प्राक् शास्त्री - II (पुरातन प्रक्रिया के अनुसार) की कक्षाओं में निम्न विषय निर्धारित हैं -

(क) एक से चार पत्र - संस्कृत के विभिन्न विषय (अनिवार्य)

(ख) पञ्चम पत्र - अंग्रेजी (ऐच्छिक)

(ग) षष्ठ पत्र - हिन्दी/राजनीति शास्त्र/इतिहास (अतिरिक्त ऐच्छिक)

(2) प्राक् शास्त्री भाग - I तथा प्राक् शास्त्री - II कक्षाओं में 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन तथा 80 अंक वार्षिक परीक्षा के होंगे। इन कक्षाओं के संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 1, 10 + 2 के समान होगा। इनमें प्रविष्ट छात्र को सामान्यत: उत्तीर्ण होना आवश्यक है, लेकिन छात्रों का उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण तथा कम्पार्टमैन्ट परिणाम केवल संस्कृत विषयों के आधार पर ही होगा। अग्रिम कक्षा के परिणाम से पूर्व छात्र को पिछली कक्षा के संस्कृतेतर विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(3) रूसा प्रक्रियानुसार शास्त्री प्रथम वर्ष से शास्त्री तृतीय वार्षिक सत्र का पाठ्यक्रम चयन मेजर - व्याकरण और साहित्य जिनके दो - दो पेपर तथा दर्शन वेद तथा ज्योतिष तीन विषयों में से दो विषयों का चयन अभिरूचि के अनुसार विद्यार्थी को करना है। इन दो विषयों के भी दो - दो पेपर होगें।

(क) अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम B.A. के समान है इस विषय का एक पेपर होगा।

(ख) हिन्दी अथवा राजनीति शास्त्र में से एक विषय चयन करना है इसका पाठ्यक्रम भी B.A. के समान है। इन विषयों का भी एक - एक पेपर होगा।

(4) प्राक् शास्त्री - I/प्राक् शास्त्री - II में परीक्षा का माध्यम हिन्दी भी हो सकता है लेकिन शास्त्री प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक तथा आचार्य कक्षाओं में परीक्षा/प्रश्न पत्रों का माध्यम संस्कृत ही होगा।

पाठ्यक्रम

शास्त्री तक की कक्षाओं में संस्कृत के अनिवार्य पत्रों में निम्न विषय पढ़ाये जाते हैं –

प्राक् शास्त्री प्रथम वर्ष :

प्रथम पत्र : 1. लघु सिद्धान्त कौमुदी (वरदराजकृत) पूर्वार्द्ध

द्वितीय पत्र : 1. रघुवंश (1, 2 सर्ग) कालिदासकृत – महाकाव्य
2. स्वप्नवासवदत्तम् (भासकृत) – नाटक
3. वृत्तरत्नाकर

तृतीय पत्र : 1. हितोपदेश (मित्रलाभ)
2. अनुवाद चन्द्रिका
3. अमरकोष (द्वितीय काण्ड)

चतुर्थ पत्र : 1. तर्क संग्रह
2. ईशावास्योपनिषद्
3. गीता (1 – 2 अध्याय)

संस्कृतेतर विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 1 की कक्षा की तरह होगा।

प्राक् शास्त्री द्वितीय वर्ष :

प्रथम पत्र : 1. लघु सिद्धान्त कौमुदी (वरदराजकृत) उत्तरार्द्ध

द्वितीय पत्र : 1. कुमार सम्भव (प्रथम – द्वितीय सर्ग) कालिदास कृत – महाकाव्य
2. भारत विजय नाटकम् (महामहोपाध्याय मथुरा प्रसाद दीक्षितकृत)
3. काव्यदीपिका

तृतीय पत्र : 1. अनुवादचन्द्रिका 2. संस्कृत गद्य मन्दाकिनी

चतुर्थ पत्र : 1. गीता (3, 11, 12, 14 अध्याय)
2. कठोपनिषद् 3. संस्कृत साहित्य परिचय

संस्कृतेतर विषयों का पाठ्यक्रम हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10 + 2 कक्षा की तरह होगा।

महाविद्यालयीय उपाधियों की समकक्षता

1. प्राक् शास्त्री — प्रमाण पत्र — 10 + 2 के समान
   शास्त्री — डिग्री — बी.ए. कला
   (बी.ए. ऑनर्स विद् क्लासिक्स) — (बी.ए. ऑनर्स संस्कृत के समान)
   आचार्य — (स्नातकोत्तर डिग्री) — एम.ए. संस्कृत के समान
2. शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने 1964 तथा हिमाचल सरकार ने 1967 में अधिसूचनाएं जारी करके शास्त्री को

बी.ए. तथा आचार्य को एम.ए. संस्कृत के समकक्ष घोषित किया है। माननीय उच्च न्यायालय एवम् उच्चतम न्यायालय ने भी इस समकक्षता को अनुमोदित किया है।

3. हि.प्र. विश्वविद्यालय ने प्राक् शास्त्री - II की परीक्षा को बोर्ड की 10 + 2 के समकक्ष घोषित किया है तथा विश्वविद्यालयानुसार शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण छात्र सीधे एम.ए. संस्कृत में प्रवेश का अधिकारी है।
4. हि.प्र. विश्वविद्यालय ने शास्त्री के पश्चात् आचार्य उत्तीर्ण छात्र को सीधे एम.फिल./पी.एच.डी. में प्रवेश का अधिकारी माना है।

वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा

1. प्राक् शास्त्री - I से प्राक् शास्त्री - II तथा आचार्य की सभी वार्षिक परीक्षाओं तथा End Semester Examination का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा ही होता है। वार्षिक परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म फरवरी प्रथम सप्ताह में तथा समैस्टर परीक्षाओं के फार्म विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में On line सिस्टम से भरे जाते हैं।
2. प्रत्येक परीक्षा के फार्म भरने हेतु समैस्टर/वार्षिक प्रक्रिया में कक्षा में कुल उपस्थितियों का 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। ऐसा न होने की स्थिति में उसका फार्म अन्तिम परीक्षा हेतु नहीं भेजा जा सकेगा।
3. वार्षिक प्रक्रिया में किसी भी कक्षा में कम्पार्टमेंट छात्र अक्तूबर मास में अनुपूरक (सप्लिमैंटरी) परीक्षा में बैठ सकता है। कम्पार्टमैन्ट के साथ अंग्रेजी आदि अतिरिक्त (अनुत्तीर्ण) विषयों की परीक्षा भी दी जा सकती है।
4. प्राक् शास्त्री - I तथा शास्त्री - I में नए प्रविष्ट छात्रों को विश्वविद्यालय में पञ्जीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना आवश्यक है। इन सभी छात्रों के प्रवेश के समय मैट्रिक/10 + 2 संस्कृत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. किसी भी बाहरी बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रवेश लेने वाले छात्र को उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से माईग्रेशन प्रमाण पत्र लाकर देना आवश्यक है तभी हि.प्र. विश्वविद्यालय में उसका पञ्जीकरण होगा। पञ्जीकरण होने पर ही उसका प्रवेश स्थायी होगा।
6. महाविद्यालय में प्रविष्ट छात्र को समय-समय पर साप्ताहिक/ मासिक/आवश्यक गृह परीक्षाओं में भाग लेना आवश्यक है। उसी के आधार पर उसकी अन्त: मूल्यांकन (Assessment) भेजी जा सकेगी। जो वार्षिक परीक्षाओं में 20 अंक तथ समैस्टर प्रक्रिया में 30/50 अंक प्रति विषय होगी। इन परीक्षाओं में अनुपस्थित छात्र तथा एसेस्मैंट में अनुत्तीर्ण छात्र वार्षिक परीक्षा में बैठने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. प्रत्येक कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति वाले छात्र को वार्षिकोत्सव में विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

केन्द्रीय छात्र परिषद्

महाविद्यालयीय केन्द्रीय छात्र परिषद् (CSA)"संस्कृत-संस्कृति छात्र कल्याण परिषद्"का गठन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सत्र के प्रारम्भ में निर्धारित तिथि को किया जाता है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने, कलात्मक प्रतिभा विकास, शारीरिक सौष्ठव, बौद्धिक-मानसिक-चारित्रिक विकास तथा छात्र-कल्याण के उन्नयन हेतु इस छात्र परिषद् का गठन किया जाता है। इसके तत्त्वावधान में पाक्षिक/मासिक छात्र संगोष्ठियाँ, वार्षिक क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें समस्त छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के पश्चात् ही चुनाव/सर्वसम्मति से केन्द्रीय छात्र परिषद (CSA) का गठन होगा।

प्राध्यापक अभिभावक संघ (PTA)

महाविद्यालयीय प्राध्यापकों तथा छात्रों के अभिभावकों (माता-पिता) के सामूहिक संगठन 'प्राध्यापक अभिभावक संघ' (PTA) का गठन प्रतिवर्ष छात्रों के प्रवेश के तुरन्त पश्चात् किया जाता है जो निरन्तर सहयोग के साथ-साथ महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी को भी पूरा करता रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। प्रवेश के तत्काल पश्चात् इसका गठन करके महाविद्यालय/छात्र हित में इसके सहयोग की अपेक्षा रहेगी।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

महाविद्यालय में भी अन्य संस्कृत तथा डिग्री महाविद्यालयों की तरह गत सत्र 2013-14 से 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (रूसा) समैस्टर प्रणाली की महत्वाकांक्षी योजना छात्र हित तथा शिक्षा के समुचित विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित शास्त्री-I कक्षा से प्रारम्भ की गई है। प्राध्यापकों तथा व्यवस्थागत न्यूनताओं के रहते हुए भी छात्र हित में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है तथा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा भी प्राध्यापकों तथा व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है।

पाठ्येतर गतिविधियाँ क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ

1. छात्रों में पारस्परिक सद्भाव के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों, सामाजिक, वैयक्तिक तथा चारित्रिक विकास की दृष्टि से समस्त छात्रवृन्द को पाणिनि, पतञ्जलि, कालिदास और व्यास सदनों में विभाजित करके विभिन्न क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सकारात्मक रूप से जोड़ा जाता है। सदनानुसार क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ अक्तूबर तथा भाषणादि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ नवम्बर मास में आयोजित की जाएंगी।

2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालयीय क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ उनके द्वारा निर्दिष्ट तिथियों में आयोजित होंगी।
3. अन्य महाविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों/राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में पात्र छात्रों को भाग ग्रहणार्थ प्रेषित किया जाता है।
4. क्रीड़ा गतिविधियों में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिन्टन, क्रिकेट, एथलैटिक्स आदि की समुचित व्यवस्था विद्यमान है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने की व्यवस्था है।
5. सभी प्रथम/द्वितीय आने वाले छात्रों को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालयीय अनुशासन तथा तत्सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी कालांश (पीरियड) प्रार्थना सहित में लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने वाले छात्र का नाम महाविद्यालय से काट दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पिता-माता की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा 100/- पुनः प्रवेश शुल्क तथा दूसरी बार 200/-के साथ अतिरिक्त विशेष दण्ड के साथ ही पुनः प्रवेश मिल सकेगा।
2. महाविद्यालय/छात्रावास परिसर में मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन या अपने पास रखना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे छात्र को तत्काल निष्कासित करके अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके घर तथा पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा।
3. किसी भी अन्य छात्र की रैगिंग करने/उसमें सहयोग करने/ उसमें शामिल होने या बाहरी छात्रों/व्यक्तियों को कॉलेज/छात्रावास में लाने तथा बाहर अथवा भीतर अनपेक्षित गतिविधियों में शामिल होने पर छात्र/छात्रा को तत्काल कॉलेज/छात्रावास से निष्कासित करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. कक्षा तथा महाविद्यालय परिवेश में मोबाइल लाना/रखना/करना/सुनना अनुशासनहीनता माना जाएगा। मोबाइल जब्त होने पर अर्थदण्ड सहित कार्यवाही की जाएगी।
5. नाम कटने/अनपेक्षित गतिविधि/गृह-वार्षिक परीक्षाओं की रिपोर्ट माता-पिता को समयानुसार प्रेषित की जाएगी।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. सत्र प्रारम्भ होते ही सभी कक्षाओं के छात्र पुस्तकालय में उपलब्धता के आधार पर पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें 15 दिन में वापिस या (Renew) करवाना आवश्यक होगा अन्यथा 5/- प्रतिदिन (प्रति पुस्तक) के आधार पर दण्ड लगेगा।
2. छात्र अध्ययन हेतु अन्य पुस्तकें भी ले सकता है जिन्हें समय पर वापिस करना आवश्यक होगा।

सन्दर्भ/दुर्लभ पुस्तकें पुस्तकालय में ही पढ़ी जा सकेंगी।

3. वार्षिक परीक्षा से पूर्व सभी पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करवानी होंगी।
4. सत्र समाप्ति के एक वर्ष के भीतर पुस्तकालय रक्षाधन वापिस लिया जा सकेगा। तत्पश्चात् इसे लैप्स माना जाएगा तथा वापिस नहीं होगा।
5. पुस्तकों को स्वच्छ, सजिल्द रखना छात्र का दायित्व होगा। कटने/फटने/गन्दा करने की अवस्था में नई पुस्तक या पुस्तक का वर्तमान मूल्य दण्ड सहित देय होगा।

छात्रावास तथा तत्सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में 30 छात्रों की व्यवस्था है जिनमें मेधावी, दूर से आने वाले, निर्धन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्वापर क्रम से स्थान दिया जाता है। जिनमें आवास के अतिरिक्त बिजली/पानी/सफाई आदि की व्यवस्था का व्यय निर्धारित शुल्क के रूप में प्रवेश के समय देय होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्रावास समिति का गठन किया है।
2. भोजन व्यवस्था छात्र/छात्राओं को अन्तः/बाह्य रूप में स्वयं करनी होगी।
3. छात्रावास परिषद् छात्रावासाध्यक्ष को सभी व्यवस्थाओं के सञ्चालन में सहयोग करेगी।
4. मादक/अभक्ष्य पदार्थों का सेवन तथा अपने पास रखना सर्वथा वर्जित होगा। दोषी छात्र को तत्काल निष्कासित/दण्डित किया जाएगा।
5. किसी भी बाह्य व्यक्ति महिला/पुरुष को कमरे में लाना/रखना वर्जित है। केवल माता-पिता छात्रावासाध्यक्ष की अनुमति से दिन में ही मिल सकते हैं।
6. किसी अन्तः/बाह्य छात्र/छात्रा की रैगिंग करने तथा अन्य अनैतिक आचरण में लिप्त/दोषी छात्र-छात्रा को तत्काल निष्कासित करके कानूनी कार्यवाही हेतु मामला प्रेषित किया जाएगा।
7. छात्रावास से बाहर जाने हेतु छात्रावासाध्यक्ष की अनुमति तथा पूरे दिन/दिनों के लिए लिखित अनुमति/अवकाश लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के बाहर गया छात्र/छात्रा दण्डित अथवा निष्कासित की जा सकती है।
8. शरद् ऋतु में सायं 7 बजे के पश्चात् तथा ग्रीष्म ऋतु में 8 बजे के पश्चात् छात्रावास के बाहर जाना/रहना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
9. छात्रावासीय प्रार्थना सभा में सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित छात्र दण्डनीय होंगे तथा सर्वाधिक उपस्थिति वाले सर्वोत्तम अनुशासित छात्र/छात्रा को वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा।
10. छात्रावास में हर वर्ष नया प्रवेश दिया जाता है तथा सत्रान्त में वार्षिक परीक्षा के पश्चात् छात्रावास छोड़ना होगा।

पुरस्कार वितरण समारोह

महाविद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह मार्च मास के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाता है जिसमें निम्न छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है:-

1. विश्वविद्यालय की मैरिट में स्थान पाने वाले छात्र ।
2. वार्षिक परीक्षा एवम् अनिवार्य गृह परीक्षा में प्रथम - द्वितीय आने वाले छात्र ।
3. महाविद्यालय की वार्षिक सदनानुसार वॉलीबॉल आदि क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वाले तथा सर्वोत्तम क्रीड़क का स्थान पाने वाले छात्र ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजिय तथा अन्तर्राज्यीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले छात्र
5. प्रत्येक कक्षा/छात्रावास में सर्वाधिक उपस्थिति तथा सर्वोत्तम अनुशासित छात्र ।
6. महाविद्यालयीय पत्रिका, सामाजिक कार्य, स्वच्छता, रक्तदान, वन महोत्सव आदि कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्र ।
7. विभिन्न महाविद्यालयीय कार्यों में सर्वोत्तम सहयोग/कार्य करने वाले छात्र ।
8. पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने वाले छात्र ।
9. शास्त्री अन्तिम वर्ष के सर्वतोभावेन - सर्वोत्तम छात्र - छात्रा ।
10. वर्ष भर में सत्य निष्ठा, इमानदारी, समर्पण से छात्रहित/महाविद्यालय हित में काम करने वाले प्राध्यापक ।
11. सर्वोत्तम परिणाम देने वाले प्राध्यापक ।
12. विशिष्ट संस्कृत विद्वान तथा अतिथि ।

छात्रावास समितिः

1.	प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	छात्रावास प्रतिपालक	सदस्य
3.	वरिष्ठतम आचार्य	सदस्य
4.	अभिभावक एवं प्राध्यापक संघ प्रधान	सदस्य
5.	शिक्षाविद्	सदस्य

वर्षपर्यन्त विशेष कार्यक्रम

1.	सत्र शुभारम्भ महोत्सव –	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	संस्कृत दिवस –	श्रावणी पूर्णिमा को
3.	हिन्दी दिवस –	14 सितम्बर
4.	शास्त्री – I, शास्त्री – II, शास्त्री – III की अन्तिम परीक्षा (वि.वि. द्वारा घोषित डेटशीट के अनुसार)	
5.	सदनानुसार सांस्कृतिक, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं	दिसम्बर या फरवरी
6.	गीता जयन्ती	गीता जयन्ती दिवस पर
7.	प्राक् शास्त्री – I, II की अनिवार्य गृह परीक्षा	दिसंबर तृतीय सप्ताह
8.	शैक्षणिक भ्रमण (शास्त्री – III वर्ष)	दिसम्बर चतुर्थ सप्ताह
9.	वार्षिक पारितोषिक वितरणोत्सव	मार्च तृतीय सप्ताह
10.	शास्त्री अन्तिम वर्ष (विदाई समारोह)	शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर

उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/अन्य राज्यों द्वारा आयोजित क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं उनकी निर्दिष्ट तिथि के अनुसार होंगी।

अन्य राष्ट्रीय/सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम/सेमिनार/संगोष्ठियाँ/वन महोत्सव/रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रम यथासमय आयोजित किए जाएंगे।

कक्षा प्रभारी तथा उनके कार्य

प्रवेश पत्र – निरीक्षण एवं संस्तुति / प्रवेश – त्याग पञ्जिका / परिचय पत्र / अनुशासन / छात्रवृत्ति / गृह परीक्षा / वार्षिक परीक्षा / अनुपस्थिति दण्ड / सामूहिक प्रार्थना / वेशभूषा आदि कार्य व्यवस्थाएँ: –

क्र० सं०	कक्षा	प्राध्यापकाः	प्रभारी / सहप्रभारी
1.	प्राक् शास्त्री – I	डॉ० किरण सकलानी	प्रभारी
2.	प्राक् शास्त्री – II	डॉ० देव कुमार नेगी	
3.	शास्त्री (प्रथम वर्ष)	डॉ० भानु शर्मा	प्रभारी
4.	शास्त्री (द्वितीय वर्ष)	श्री पवन कुमार	प्रभारी
5.	शास्त्री (तृतीय वर्ष)	डॉ० विनय कुमार	प्रभारी
6.	आचार्य (प्रथम वर्ष)	डॉ० आशा शर्मा	प्रभारी
7.	आचार्य (द्वितीय वर्ष)		

प्रवेश तिथि

प्राक शास्त्री – I	मई तृतीय सप्ताह से जून 30 पर्यन्त
प्राक शास्त्री – II	जून 14 से जून 30 पर्यन्त
शास्त्री तृतीय वर्ष शास्त्री द्वितीय वर्ष शास्त्री पञ्चम सत्र	
प्रथम साहित्यचार्य प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष	1 जुलाई से 20 जुलाई पर्यन्त

महाविद्यालय व्यवस्थापन समितियाँ

1. **विश्व विद्यालय अनुदान आयोग / NAAC Accreditation / IQAC**
   1. डॉ० देव कान्त शर्मा – समन्यवयक
   2. डॉ० विनय शर्मा – सदस्य
   3. डॉ० भानु शर्मा – सदस्य
   4. श्री ओंकार चन्द – सदस्य
2. **महिला उत्पीड़न (सैक्सुअल हरासमैन्ट) निरोधक,**
   1. डॉ० आशा शर्मा – सदस्या
3. **छात्र परिषद् चुनाव, छात्रवृत्ति**
   1. डॉ० भानु शर्मा
4. **पुस्तकालय समिति –**
   1. डॉ० भानु शर्मा – प्रभारी
   2. श्री पवन कुमार – सहायक
5. **स्काउट एण्ड गाईड (रोवर रैंजर):**
   1. डॉ० विनय शर्मा – प्रभारी
   2. डॉ० आशा शर्मा – सह प्रभारी
6. **विद्युत जल व्यवस्था परिसर सौन्दर्यकरण (इको क्लब)।**
   1. डॉ० विनय शर्मा – प्रभारी
   4. डॉ० भानु शर्मा – सह प्रभारी
7. **रूसा सम्बन्धी कार्यः –**
   1. श्री पवन कुमार – प्रभारी
   2. डॉ० भानु शर्मा – सह प्रभारी
   3. डॉ० देव कुमार नेगी – सह प्रभारी
8. **महाविद्यालय सलाहकार समितिः –**
   1. डॉ० विनय शर्मा
   2. डॉ० देवकान्त शर्मा
   3. श्री ओंकार चन्द
9. **क्रीड़ा।**
   1. श्री ओंकार चन्द
   2. डॉ० आशा शर्मा
10. **महाविद्यालय बरसर** डॉ० देव कान्त शर्मा
    प्रैस सचिव – डॉ० विनय कुमार
    स्टाफ सचिव – डॉ० देव कान्त शर्मा
11. **स्थानीय क्रयसमिति** (Local Purchase Committee)
    1. डॉ. विनय कुमार
    2. डॉ. भानु शर्मा
    3. श्री पवन कुमार

डॉ० नरेश चन्द
प्राचार्यः
98162-98490

शास्त्री प्रथम वर्ष
शास्त्री द्वितीय वर्ष
शास्त्री तृतीय वर्ष

की पुस्तकों की सूची महाविद्यालय परिसर से प्राप्त की जा सकती है।

साहित्याचार्य (प्रथम वर्ष)

प्रथम पत्र : गद्य तथा चम्पू
वासवदत्ता, सुबन्धु, सम्पूर्ण
हर्षचरित, बाण भट्ट, पंचम उच्छ्वास
नैषधीय चरित, श्रीहर्ष, 1,2 सर्ग
रामायण चम्पू, भोजराज, सम्पूर्ण

द्वितीय पत्र : नाटक एवं नाट्य शास्त्र
मुद्राराक्षस, विशाखदत्त
भरत : नाट्यशास्त्र 6,7 अभिनव भारती सहित
प्राकृत प्रकाश, वररूचि

तृतीय पत्र : काव्य शास्त्र
ध्वन्यालाके, आनन्दवर्धनाचार्य
प्रथम-द्वितीय उद्योत लोचन सहित
अलंकार सर्वस्व, रूय्यक

चतुर्थ पत्र : विशेष कवि का अध्ययन
वाल्मीकि या कालिदास

साहित्याचार्य (प्रथम वर्ष)

पञ्चम पत्र : काव्य-शास्त्र
रसगंगाधर, पण्डितराज जगन्नाथ प्रथम आनन-सम्पूर्ण
ध्वन्यालोक, आनन्द वर्धन तृतीय तथा चतुर्थ उद्योत, लोचन सहित

षष्ठ पत्र : साहित्य समीक्षा
1) वक्रोवित जीवित-कुन्तक

2) औचित्यविचारचर्चा, क्षेमेन्द्र

सप्तम पत्र : काव्य-शास्त्र

1) निबन्ध, साहित्य शास्त्रीय
2) व्युत्पत्ति प्रदर्शन
3) पद्य रचना अथवा समस्या पूर्ति
4) काव्यमीमांसा, राजशेखर, अध्याय 1, 4, 5, 11, 18

अष्टम पत्र : काव्य-शास्त्र

1) संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास
2) पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास

सहायक ग्रन्थ -

1) पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परम्परा :
   सम्पादक डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2) संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास
   पीवी काणे, अनुवाद इन्द्रचन्द्र शास्त्री, मोतीलाल, बनारसीदास, दिल्ली।
3) संस्कृत काव्य का इतिहास
   भाग 1-3, डॉ. सुशील कुमार डे, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना-3

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध

शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों द्वारा नए/पुराने छात्रों की रैगिंग को भारत सरकार/हिमाचल सरकार तथा माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। जिसमें अपराधी को गैर जमानती अपराध का दोषी माना है। तदनुसार इस सस्कृत महाविद्यालय के परिसर, छात्रावास तथा मार्ग आदि में छात्रों द्वारा नए/पुराने छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार/रैगिंग के लिए सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से रैगिंग करने वाला तथा वहाँ उपस्थित छात्र/छात्रा द्वारा अगर दोषी का नाम नहीं बताते हैं तो सारा समूह दोषी माना जाएगा और सारे समूह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एतदर्थ महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापकों की अनुशासन एवं रैगिंग निरोधक समिति का गठन किया गया है। पीड़ित छात्र तत्काल इस समिति को सूचित करेंगे। रैगिंग को U.G.C. Act A-56 (3 of 1950) के अनुसार दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनुशासन एवं रैगिंग निरोधक समिति

1. डॉ० नरेश चन्द - अध्यक्ष - 98162-98490
2. डॉ० विनय कुमार शर्मा - नोडल अधिकारी - 82199-99048
3. आचार्य ओंकार - उपाध्यक्ष - 98170-73577

कार्यालय सम्पर्क सूत्रः01792-223550